न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 – 71/19

अनवान : –

1. रामपत पुत्र श्री तोखराम जाति जाट निवासी गांव गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. तोखराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी।

– असल प्रतिवादी

2. कृष्ण पुत्र तोखराम जाति जाट निवासी गढीछानी।
3. नरसी पुत्र तोखराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी।
4. कमलेश पुत्री तोखराम पत्नि रणवीर जाति जाट निवासी गढ़ीछानी हाल ससुराल किरमारा तहसील जिला हिसार।
5. तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
6. मनोहरी देवी पत्नि तोखराम जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 03-02-2020

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि वादी रामपत ने न्यायालय हाजा में चक 7 जेएसएल व चक 6 जेएसएल की अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा बाबत वाद पेश किया था जिसे डिक्री किया जाकर वादी रामपत व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 क्रमश : तोखराम, कृष्ण, नरसी के बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा की गई थी जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी सं0 3 नरसी व प्रतिवादिया सं0 4 कमलेश ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील पेश की माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में न्यायालय हाजा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक का निर्णय व डिक्री खारिज कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ से पत्रावली प्राप्त होने पर नम्बर पर ली गई तथा उभय पक्षकारान को तलब किया गया। वकील वादी ने मनोहरी देवी पत्नी तोखराम को दावा में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेष किया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कियाजाकर दावा के शिर्षक में प्रतिवादीया सं0 6 मनोहरी देवी पत्नी तोखराम जाट निवासी गढ़ीछानी को लाल स्याही से अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 4 व 6 को तर्क किया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बार बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व प्रतिवादिया सं0 6 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 7 जेएसएल के खाता सं0 37/34 व चक 6 जेएसएल के खाता सं0 60/58 में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्देशानुसार पक्षकारान को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 6 को वकील वादी द्वारा तर्क किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बार बार आवाज लगाई गई किन्तु कोई उपस्थित अदालत नहीं आया। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक 7 जेएसएल के खाता सं0 37/34 के मु0नं0 49 के किला नं0 11 से 18, 23 से 25 की 3.795 है0 मु0नं0 54 के किला नं0 1 से 3, 4/1, 9, 12 की 1.3280 है0 कुल 5.123 है0 जिसमें से 5.047 है0 नहरी, गैरमुमकिन खाला 0.0760 है0 एव इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता सं0 60/58 के मु0नं0 37 के किला नं0 17, 21/2, 22 से 25 की कुल 1.404 है0 मु0नं0 65 के किला नं0 2/2, 3, 4, 7, 8/1 की 1.049 है0 कुल 2.453 है0 नहरी कृषि भूमि में नहरी 2.302 है0 गै0मु0 रास्ता 0.076 है0 गैरमुमकिन खाला 0.075 है0 खातेदारी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 तोखराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद ही उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 – 71/19

अनवान : –

1. रामपत पुत्र श्री तोखराम जाति जाट निवासी गांव गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. तोखराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी।

– असल प्रतिवादी

2. कृष्ण पुत्र तोखराम जाति जाट निवासी गढीछानी।
3. नरसी पुत्र तोखराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी।
4. कमलेश पुत्री तोखराम पत्नि रणवीर जाति जाट निवासी गढ़ीछानी हाल ससुराल किरमारा तहसील जिला हिसार।
5. तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
6. मनोहरी देवी पत्नि तोखराम जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक 7 जेएसएल के खाता सं0 37/34 के मु0नं0 49 के किला नं0 11 से 18, 23 से 25 की 3.795 है0 मु0नं0 54 के किला नं0 1 से 3, 4/1, 9, 12 की 1.3280 है0 कुल 5.123 है0 जिसमें से 5.047 है0 नहरी, गैरमुमकिन खाला 0.0760 है0 एव इसी प्रकार चक 6 जेएसएल के खाता सं0 60/58 के मु0नं0 37 के किला नं0 17, 21/2, 22 से 25 की कुल 1.404 है0 मु0नं0 65 के किला नं0 2/2, 3, 4, 7, 8/1 की 1.049 है0 कुल 2.453 है0 नहरी कृषि भूमि में नहरी 2.302 है0 गै0मु0 रास्ता 0.076 है0 गैरमुमकिन खाला 0.075 है0 खातेदारी वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 तोखराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद ही उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपन वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 13:46:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: